मैसर्स नालीकूल प्राइवेट लिमिटेड, नालीकूल हुगली पर मारा गया छापा

3340. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर विभाग या गुप्त सूचना विभाग ने गत तीन वर्षों से मसर्स नालीकूल प्राइवेट लिमिटेड, नालीकूल, जि० हुगली के कार्यालय पर कोई छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो छापा मारने का मुख्य उद्देश्य क्या था तथा सरकार को किस प्रकार की सामग्री और आशाजनक कागजात प्राप्त हुये तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कम्पनी में शेयरधारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे घोटाले के बारे में क्षेत्रीय आयकर विभाग (गुप्त सूचना निरीक्षण) को कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(घ) यदि हां, तो वहां गत तीन वर्षों में किस सीमा तक घोटाला और अनियमितायें हुई तथा किस प्रकार की हुई और इन घोटालों और अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला): (क) और (ख). आयकर प्राधिकारियों ने नवम्बर, 1977 में, मैसर्स नलीकूल प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने और प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक श्री के०भुटेरिया, भूतपूर्व सचिव श्री ए० सी० भुटेरिया के कार्यालय और आवासीय परिसरों की और निदेशक श्री एस० बी० सिंह दुग्गर के निवास की भी आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी लेने और अभिग्रहण की कार्यवाही की है ।

इस कार्यवाही के कारण, 1 लाख 80 हजार रुपये की नकदी के अलावा, बड़ी संख्या में लेखा-पुस्तकें/दस्तावेज पकड़े गये हैं । छः लाकरों को भी सील कर दिया गया है ।

(ग) ऐसी शिकायतें श्री के० भुटेरिया और श्री ए० सी० भुटेरिया के सम्बन्ध में कलकत्ता स्थित आयकर विभाग के आसूचना पक्ष को प्राप्त हुई थीं ।

(घ) करापवंचन की सीमा और की गई अनियमितताओं के स्वरूप का, जांच-पड़ताल पूरी होने पर पता चलेगा । जांच-पड़ताल चल रही है ।

जीवन बीमा निगम की एजेंसियां

3341. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जीवन बीमा निगम की 90 प्रतिशत एजेन्सियां उन लोगों की पत्नियों के नामों में हैं जो वास्तव में एजन्ट का काम करते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जी, नहीं । 31-3-1977 को जीवन बीमा निगम के लगभग 1,42,000 एजेन्टों में से महिला ऐजेन्टों की संख्या केवल 32,000 थी । जीवन बीमा निगम के ऐजेंटों पर एजेन्ट विनियमों के उपबन्ध लागू होते हैं और ऐजेंटों की भर्ती प्रशिक्षण और परीक्षा से सम्बन्धित विनियमों के उपबन्ध इस उद्देश्य से बनाए गए है जिससे कि बेनामी एजेंसियों को रोका जा सके । विनियमों के अन्तर्गत एजेंटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यवसाय प्राप्त करने और उसके बाद तत्सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने के कार्य में सक्रिय रूप से लगे रहें । यदि जीवन बीमा निगम को यह पता लग जाये कि अमुक एजेंट इस काम में नहीं लगा है तो वह उसकी एजेंसी समाप्त कर देता है ।